

## कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर.

क्रमांक : वि.प्र./के-140/17-18/वोल्यू.1/

दिनांक :

कार्यालय आदेश संख्या : दिनांक

विधिक प्रकोष्ठ के कार्यालय आदेश संख्या 01 दिनांक 11.05.2017 द्वारा इस कार्यालय में कार्यरत कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में पीडित महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों के निराकरण के लिये गठित शिकायत समिति में, सुश्री प्रीति रमेशचंद्र जैन उप महालेखाकार (लेखा एवं वी. एल. सी.) को पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मीना बिष्ट, उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर के स्थान पर दिनांक 05.11.2018 से नये अध्यक्ष के रूप में महालेखाकार महोदय द्वारा नियुक्त किया गया है। तदनुरूप शिकायत समिति की संरचना निम्न प्रकार से है:-

- |    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| 1. | सुश्री प्रीति रमेशचंद्र जैन, उप महालेखाकार (लेखा एवं वी. एल. सी.) | अध्यक्ष                 |
| 2. | श्री जयसिंह रैगर, कल्याण अधिकारी                                  | सदस्य                   |
| 3. | श्रीमती रीतिका मोहन, सहा. लेखाधिकारी                              | सदस्य                   |
| 4. | श्रीमती नीरा जैन, सहा. लेखाधिकारी                                 | सदस्य                   |
| 5. | सुश्री शबनम   | सदस्य (एनजीओ प्रतिनिधि) |

हस्ता.

वरि. उप महालेखाकार (प्रशासन)

क्रमांक : वि.प्र.(प्रशा.गोप.)/4-1999/85-86/वोल्यू.III/T.R.II/184

दिनांक : 5-11-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा व हक)
2. सचिव, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर
3. श्रीमती मीना बिष्ट, उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर
4. निजी सहायक वरि. उप महालेखाकार (प्रशासन) एवं उप महालेखाकार (लेखा एवं वी. एल. सी.)
5. समस्त शाखाधिकारी
6. समिति के सदस्य .....
7. सूचना पट्ट जी.डी. (दो प्रति)
8. सुश्री शबनम द्वारा विशाखा महिला शिक्षा एवं शोध समिति 10/60, स्वर्ण पथ मानसरोवर, जयपुर-302020.
9. आई. एस. डब्ल्यू. अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर सूचना अपलोड करने हेतु
10. कार्यालय आदेश पत्रावली

T-193  
12/11/18

वरि. लेखाधिकारी/विधिक प्रकोष्ठ